छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,रायपुर,

परिशिष्ट–04

स्थापित डिपो से वनोपज (इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ बांस) की ईलेक्ट्रानिक नीलामी में विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम :

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पोर्टल में दर्शाये गये डिपो में प्रस्तावित की गई वनोपज (इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ बांस) के विभिन्न लॉटों का विक्रय संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा दर्शाई गई दिनांक एवं समय को ई–नीलाम के माध्यम से किया जायेगा। ई–नीलाम में भाग लेने के लिये वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पंजीकृत क्रेता ई–नीलाम के निर्धारित पोर्टल पर लाग–इन कर सकता है।

ई–नीलाम के समय घोषित या अनुरोध पर पूर्व में उपलब्ध कराई गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस के मापों, मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे वनमंडलाधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, किन्तु उनकी किसी भी सीमा तक गारन्टी नहीं है, इसलिये बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपना समाधान करने की दृष्टि से उस लॉट या उन लॉटों का जिसके लिये/जिनके लिये वे ई–बोली लगाना चाहते हैं, यदि चाहे तो स्थल पर निरीक्षण कर ले। थप्पी और मापों के ब्यौरे पोर्टल पर आनलाईन उपलब्ध रहेंगे। यदि बाद में मात्राओं आदि के ब्यौरे गलत पाये जाएं तो राज्य शासन के विरूद्ध मुआवजे या किसी अन्य राहत के लिये कोई भी दावा नहीं होगा।

अ. परिभाषाएं

1. इलेक्ट्रानिक नीलामी– विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल जिसका वेबएड्रेस (URL) विभाग की वेबसाईट पर दर्शाया जायेगा, के माध्यम से आनलाईन किया गया नीलाम ।
2. वनोपज – नीलाम में प्रस्तावित ईमारती, जलाऊ, बांस अथवा भारतीय वन अधिनियम 1927 के. अंतर्गत परिभाषित अन्य वस्तुएं ।
3. क्रेता – सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, जिस की बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, क्रेता होगा।
4. अवरोध मूल्य – संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य।
5. अनलाईन संसूचना बोलीदार / क्रेता को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल पर भेजे गये संदेशों को इन नियमों के अनुसार संसूचित माना जायेगा ।
6. वृत्त का भारसाधक अधिकारी वन वृत्त, जिसके भौगोलिक क्षेत्र में वह डिपो स्थित है जिसमें रखी वनोपज का नीलाम प्रस्तावित है, में पदस्थ भारतीय वन सेवा अधिकारी ।
7. वनमंडलाधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह डिपो स्थित है जिसमें रखी वनोपज का नीलाम प्रस्तावित है, में पदस्थ भारतीय वन सेवा अधिकारी ।
8. आवेदन – से. अभिप्रेत है आनलाइन आवेदन ।

ब. ई–नीलाम की शर्त :–

1. (क) किसी भी व्यक्ति को नीलाम में किसी भी लॉट के लिये ई–बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह उसकी शर्तो का पालन करने के करार के प्रतीक स्वरूप, विक्रय सूचना पर अपनी आनलाईन सहमति न दे और प्रत्येक लॉट के संबंध में ई–बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता हो उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि की बयाने की राशि विभाग के द्वारा निर्धारित पोर्टल में आनलाईन जमा न कर दे। ई–बोली लगाने वालों को यह अनुमति दी जा सकेगी कि यदि वह ई–नीलामी के दौरान पहले से जमा की गई 10 प्रतिशत राशि द्वारा अनुमति सीमा से अधिक की बोली लगाना चाहते हो, तो बयाने की राशि में और राशि आनलाईन जमा कर सकें।

(ख) असफल ई–बोली लगाने वालों के मामले में बयाने की जमा रकम ई–नीलामी समाप्त होने पर, उन्हें उसके लिये सम्यक् खाते में आनलाईन अगले कार्य दिवस में वापस लौटा दी जायेगी। सफल ई–बोली लगाने वाले के मामले में यह राशि लॉट के लिये ई–बोली गई राशि के 25 प्रतिशत के भुगतान में जैसा कि निम्नलिखित शर्त (2) (क) के अधीन अपेक्षित है, समायोजित कर ली जायेगी.

2. (क)(एक) ई–बोली स्वीकृत होने के तत्काल बाद या नीलाम की तारीख (मंजूरी की तारीख को छोड़कर) से 7 दिवस के भीतर जो भी वन मण्डलाधिकारी द्वारा स्वविवेक से अनुमत किया जावे, सफल ई–बोली लगाने वाले को ऐसी और रकम का जिससे ई–बोली की राशि 25 प्रतिशत राशि पूरी हो जाए, विभाग के द्वारा निर्धारित पोर्टल में आनलाईन, या बैंकर्स चेक द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किए गए, रैखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो संबंधित वनमण्डलाधिकारी के पक्ष में आहरित होगा, या भारतीय स्टेट बैंक के मल्टी–सिटी चेक जो कि संबंधित वनमण्डलाधिकारी के नाम पर जारी होगा, भुगतान करना होगा। और ऐसा न करने पर विक्रय रद्द कर दिया जाएगा और उपर्युक्त शर्त 1 (क) के अधीन बयाने के रुप में जमा की गई राशि शासन के पक्ष में समपहृत हो जावेगी। चूककर्ता ई–बोली लगाने वाले की जोखिम के बिना लॉट पुनः ई–नीलामी की जावेगी। परन्तु मल्टी सिटी चेक से भुगतान करने की स्थिति में विक्रय स्वीकृति, जमा किए गए चेक के बैंक द्वारा भुगतान किए जाने के उपरांत ही जारी किया जावेगा।

2. (क)(दो) उपर्युक्त शर्त 2 (क) (एक) के अधीन विक्रय रद्द हो जाने की स्थिति में यदि चूककर्ता ई–बोली लगाने वाला अनुवर्ती, ई–नीलामी में लॉट के विक्रय के पूर्व विक्रय के पुनः प्रवर्तन का निवेदन करें, तो मुख्य वन संरक्षक/ वृत्त का भारसाधक अधिकारी यदि उसका इस बात से समाधान हो जाये कि ई–बोली लगाने वाला उपर्युक्त शर्त 2(क) (एक) के अधीन अपेक्षित अगली राशि का किसी समुचित तथा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कारण से, विहित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था, तो वह संपूर्ण विक्रय मूल्य और साथ ही विक्रय में हुए विलंब की कालावधि के लिये उस पर ब्याज, स्थान भाड़ा तथा विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर, विक्रय का पुनः प्रवर्तन कर सकेगा। उसके पश्चात इन शर्तो के विभिन्न खण्डों में दी गई विहित अवधियों तथा समय सीमाओं, जो विक्रय को विनियमित करती हो, की गणना ई–नीलामी की तारीख से की जावेगी। वसूली योग्य ब्याज की दर तथा उसकी गणना की पद्धति नीचे दी गई शर्त 2(ख) (दो) में दिये अनुसार होगी। स्थान भाड़ा नीचे गई शर्त 14(ख) के अनुसार वसूली योग्य होगा।

2. (ख)(एक) ई–बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि, क्रेता द्वारा ई–बोली की मंजूरी की तारीख से, जो वन मण्डलाधिकारी द्वारा ई–मेल से संसूचित की जाएगी, 45 दिन के भीतर भुगतान की जाएगी। तथापि अपवादिक मामले में, वनमण्डलाधिकारी, क्रेता द्वारा निवेदन किए जाने पर, ई–बोली की शेष राशि के भुगतान की अवधि 45 दिन को नीचे दी गई शर्त 2 (ख) (दो) में दिए गए प्रावधान के अनुसार ब्याज का भुगतान करने की शर्त पर 75 दिनों तक बढ़ा सकेगा। ई–बोली की शेष राशि, वनमण्डलाधिकारी को आनलाईन या वनमंडलाधिकारी के नाम पर देय बैंकर्स चेक या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उनकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किए गए रेखित बैंक ड्राफ्ट या भारतीय स्टेट बैंक के मल्टीसिटी धनादेश द्वारा भुगतान करना होगा, परन्तु मल्टीसिटी चेक से भुगतान करने की स्थिति में भुगतान की पुष्टि के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा।

2. (ख) (दो) यदि बोली की शेष राशि का भुगतान मंजूरी की संसूचना की तारीख से 45 दिन के भीतर न किया जाए तो भुगतान न की गई शेष राशि पर छियालीसवें दिन से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से या समय–समय पर पुनरीक्षित दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। ब्याज की गणना के लिए 15 दिन या उससे कम दिन की अवधि की गणना आधे महीने के रुप में तथा 15 दिन से अधिक दिनों की अवधि की गणना एक माह के रुप में की जावेगी।

2. (ग) (एक) उपर्युक्त शर्त 2 (क) तथा (ख) के अधीन भुगतान योग्य रकम के अलावा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य समस्त करों की वसूली विक्रय मूल्य सहित खरीददार से की जायेगी।

2. (ग) (दो) फायनेन्स एक्ट, 1988 की नवीन प्रतिस्थापित धारा 206–सी एवं 44 ए.सी. के प्रावधानों के अनुसार जो कि 1 जून 1988 से प्रभावशील है, खरीददारों से विक्रय मूल्य पर आयकर भी वसूल की जायेगी।

2. (ग) (तीन) उपर्युक्त शर्त खण्ड (2) (क) तथा (ख) के अधीन विक्रय मूल्य की रकम का तब तक पूर्णतः भुगतान होना नहीं माना जायेगा जब तक उक्त उपखण्ड 2 (ग) (एक) एवं 2 (ग) (दो) के अधीन उस तारीख को भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर, आयकर का भी पूर्णतः भुगतान न कर दिया गया हो।

2. (ग) (चार) क्रेता पश्चात्वर्ती दायित्वों के लिये भी यदि कोई हो, जिनमें इन शर्तों के अधीन उसे बेचे गये माल पर वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर एवं आयकर के अतिरिक्त राशियों का भुगतान भी शामिल है, उत्तरदायी होगा। ऐसा भुगतान वनमंडलाधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग की जाने पर 15 दिनों के भीतर करना होगा।

3. किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से ई–बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित मुख्त्यार नामा जो सक्षम विधि न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप में प्रमाणित हो और जिसके द्वारा उसे कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो या उस फर्म का, जिसका भागीदार होने का वह दावा करता है, पंजीयन प्रमाण–पत्र आनलाईन पोर्टल में प्रस्तुत नहीं करता।

4. कोई भी व्यक्ति जिसे वन ठेकों में ई–बोली लगाने के लिये प्रतिबंधित किया गया हो या वर्जित किया गया हो, ऐसा प्रतिबंध लागू होने तक ई–नीलामी में ई–बोली नहीं लगायेगा।

5. वनमंडलाधिकारी की लिखित अनुमति को छोड़ ऐसे कोई भी व्यक्ति जिस पर किसी वन ठेके के कारण या उसके अधीन शासन का धन बाकी हो, ई–नीलामी में ई–बोली नहीं लगायेगा।

6. वनमंडलाधिकारी प्रत्येक लॉट के लिये कोई आरक्षित मूल्य आरक्षित कर सकेगा और किसी भी लॉट को ई–नीलामी से हटा सकेगा, परन्तु जब, जबकि ई–बोली ऐसे आरक्षित मूल्य से कम हो।

7. वनमंडलाधिकारी पूर्ववर्ती ई–बोली पर प्रत्येक अग्रिम की न्यूनतम रकम निश्चित कर सकेगा और ई–बोली के दौरान समय–समय पर इस प्रकार निश्चित की गई रकम को परिवर्तित कर सकेगा। ई–बोली के समय उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम अविवादास्पद ई–बोली फिर से तत्काल प्रारंभ की जावेगी।

8. वनमंडलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार होगा–

(क) ई–नीलामी की किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को ई–बोली लगाने से रोक देने का।

(ख) सबसे ऊंची या किसी भी ई–बोली को अस्वीकार करने का।

(ग) सबसे ऊंची या किसी भी ई–बोली को स्वीकार करने का तथा किसी भी अवस्था में किसी भी लॉट कोई–नीलामी से वापस लेने का, भले ही ई–बोली लगाने वाले उसे खरीदने के लिये तैयार हों।

9. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति, उसकी ई–बोली स्वीकार कर, लिये जाने के बाद, उसके पक्ष में ई–बोली समाप्त किये गये लॉट के संबंध में ई–बोली पत्रक पर हस्ताक्षर करेगा तथा वनमंडलाधिकारी को अपना ई–मेल का पता देगा, जिस पर ई–मेल से सूचित किया जा सके। इसी प्रकार उनके ई–मेल में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना उसके द्वारा उस अधिकारी को दी जावेगी। उस ई–मेल पर ई–मेल के द्वारा भेजी गई सूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह सम्यक् रूप से सफल ई–बोली लगाने वाले व्यक्ति को पहुंच गई है।

10. वनमंडलाधिकारी की मंजूरी की क्षमता से परे के ठेकों के विक्रय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन होंगे तथा सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी ई–बोली द्वारा तब तक आबद्ध रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित न किए जाएं।

11. सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, जिसकी ई–बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, क्रेता होगा।

12. (क) यदि विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि तथा साथ ही उपर्युक्त शर्त 2 (ख) तथा (ग) के अनुसार वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर एवं आयकर की राशि के बदले में भुगतान योग्य राशि का भुगतान न किया जाये तो विक्रय रद्द कर दिया जायेगा, तथा स्वीकृत ई–बोली मूल्य का 25 प्रतिशत शासन को समपहृत हो जायेगा। व्यतिक्रयकर्ता को तीन वर्षों की कालावधि के लिये काली–सूची में दर्ज भी किया जा सकेगा। लॉट का ई–नीलाम व्यतिक्रयकर्ता की जोखिम के बिना पुनः किया जावेगा।

(ख) यदि ई–बोली की रकम की शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान न करने के कारण विक्रय रद्द कर दिया गया हो और अगले उच्चतर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाय कि समुचित और पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य कारणों से, जो लेख बद्ध किये जायेंगे, क्रेता विहित समय सीमा के भीतर उस राशि का, भुगतान करने में असमर्थ था तो ऐसा प्राधिकारी समस्त देय रकमों के पूर्व भुगतान और विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा।

13. (क) बेची गयी इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस को हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक कि उपर्युक्त शर्त क्रमांक 2 के अनुसार पूर्व भुगतान और जहां आवश्यक हो वहां नीचे की शर्त 14 के अधीन स्थान भाड़ा तथा शासन का पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो। लॉट/लॉटों को हटाने की अनुमति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नहीं दी जावेगी। डिपो में इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बनाये गये द्वार से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस ले जाने की अनुमति दी जावेगी, जहां इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस निरीक्षण के लिये तथा लकड़ी उस पर निकासी हैमर चिन्ह लगाने के लिये प्रस्तुत की जावेगी।

(ख) बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ बांस का परिदान लेते समय क्रेता उसके लिये रसीद देगा।

(ग) डिपो से हटाई जाने वाली समस्त इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस संबंधित डिपो अधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी से इस प्रयोजन के लिये प्राप्त किये जाने वाले सम्यक् रूप से विहित परिवहन अनुज्ञापत्र (परमिट) के अंतर्गत होगी।

(घ) क्रेता डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस को हटाने के दौरान डिपो परिसर के भवन, फिक्चर्स तथा फिटिंग्स वनोपज अथवा वहां खड़े किसी वृक्ष या पौधों को होने वाली हानि या क्षति, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिये उत्तरदायी होगा। ऐसी हानि या क्षति का मूल्यांकन, जो कि वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, अंतिम होगा और क्रेता पर बंधनकारी होगा।

14. (क) यदि बेची गयी इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस उपर्युक्त शर्त क्रमांक 2 (ख) (एक) के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से दो माह के भीतर डिपो से नहीं हटाया जाता तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान भाड़ा वसूल किया जावेगा :–

(1) इमारती लकड़ी – रूपये 0.50 प्रति दिन प्रति घनमीटर.

(2) जलाऊ लकड़ी – रूपये 2.50 प्रति स्टैण्डर्ड माप का चट्टा प्रतिमाह.

(3) बांस – रूपये 5 प्रति विक्रय ईकाई प्रति माह

मंजूरी की संसूचना की तारीख से दो महिने की अवधि समाप्ति के पश्चात स्थान भाड़ा की संगणना की जावेगी। ईमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी/बांस के लिए भूमि भाड़ा की गणना करने के लिए 15 दिन या उससे कम की अवधि की गणना आधे महिने के रूप में एवं 15 दिन से अधिक किन्तु एक माह से कम की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जावेगी.

14 (ख) डिपो से बेची गई तथा खरीदी गई समस्त इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस मंजूरी की संसूचना मिलने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर हटायी जायेगी। कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई क्रेता जिसने पहले ही पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया हो, उपर्युक्त अवधि के भीतर इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ बांस हटाये जाने की स्थिति में न हो तो उसे स्थान भाड़ा का भुगतान करने पर मंजूरी की सूचना मिलने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर माल हटाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

चार माह की अवधि समाप्त हो जाने पर क्रेता को केवल आपवादिक मामलों में, संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विशेष अनुज्ञा से, जो स्थान भाड़ा के अतिरिक्त न हटाई गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस के विक्रय मूल्य के 10 प्रतिशत से अनअधिक शास्ति उदग्रहीत कर सकेगा, इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ बांस हटाने की अनुमति दी जा सकेगी।

चार माह की अवधि या ऐसे अवधि, जो संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा बढ़ाई हो, के समाप्त हो जाने के पश्चात इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस , यदि न हटाया गया हो तो वह विक्रय मूल्य सहित शासन को समपहृत हो जावेगा तथा उसे ई–नीलामी के द्वारा बेच दिया जावेगा और मूल क्रेता को उसके संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

15. वन विभाग, विक्रय की गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ बांस की किसी भी प्रकार की क्षति और हानि के लिए और आग, चोरी, दुर्विनियोग या अन्य दुर्घटना, जिस भी किसी कारण से हुई हानि के लिये किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। विक्रय के बाद डिपो में रखी गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ बांस पूर्णतः क्रेता की जोखिम पर रहेगा।

16. (क) वन मार्गों पर ट्रक या अन्य भारी वाहनों के चलाने के लिये वनमंडलाधिकारी से निम्नलिखित दरों पर मार्ग अनुज्ञा–पत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा–

(i) रूपये 600 प्रति तिमाही प्रति वाहन अथवा;

(ii) रूपये 50 प्रति वाहन, एक तरफ की एक खेप के लिये

(ख) तिमाही की अवधि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

(i) प्रथम तिमाही एक अप्रैल से 30 जून

(ii) द्वितीय तिमाही एक जुलाई से 30 सितंबर

(iii) तृतीय तिमाही एक अक्टूबर से 31 दिसंबर

(iv) चतुर्थ तिमाही एक जनवरी से 31 मार्च

17. ई–बोली लगाने की कार्यवाही को इन शर्तो की पूर्ण और बिना शर्त स्वीकृति समझा जावेगा।

18. छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, जिसमें वन संविदा (कांट्रेक्ट) नियम एवं अन्य सुसंगत नियम शामिल है, जहां तक वे लागू हो, सफल ई–बोली लगाने वाले क्रेता पर विक्रय की शर्तो के रूप में लागू होंगे।

19. इन शर्तो के अधीन ई–बोली लगाने वाले से किसी भी कारण से वसूली योग्य कोई राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

20. ऐसे किसी ई–बोली लगाने वाले के द्वारा ई–नीलाम को अनावश्यक बाधित करने का कुप्रयास किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ई–नीलाम में भाग लेने से वनमंडलाधिकारी के द्वारा वर्जित किया जा सकेगा और उसके द्वारा किसी लॉट के संबंध में जमा की गई बयाने की राशि, यदि कोई हो तो, छत्तीसगढ़ शासन को समपृहत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त उसका नाम वनमंडलाधिकारी के द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये काली सूचि में दर्ज किया जा सकेगा।

21. किसी ई–नीलाम में निर्वर्तित किसी लॉट की बोली स्वीकार किये जाने के उपरांत एवं क्रेता द्वारा परिवहन आदेश प्राप्त कर, क्रय की गई वनोपज का परिवहन कर लिये जाने के पूर्व, उस लॉट के विषय में युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुये , उक्त लॉट के विक्रय को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संबंधित वृत्त के भारसाधक अधिकारी को होगा। मुख्य वन संरक्षक एवं वृत्त के भारसाधक अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि ई–नीलाम दिनांक से 07 दिवस के भीतर किसी लॉट विशेष के विषय में पूर्ण नाम तथा पते सहित शिकायत होने पर वह उसका निराकरण (जिसमे लॉट निरस्तीकरण भी सम्मिलित है) शिकायत प्राप्ति के दिनांक के 07 दिवस के भीतर करें।

22. वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा शर्त क्रमांक 21 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप पारित निर्णय के विरूद्ध आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपील प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उत्पादन शाखा के भारसाधक अधिकारी को की जा सकेगी, जिसका निराकरण आवेदन प्राप्ति के 07 दिवस में किया जाएगा।

23. बोली लगाने वाले व्यक्तियों/क्रेताओं की सुविधा हेतु पोर्टल पर आवश्यक प्रबंध/परिवर्तन करने का संपूर्ण अधिकार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मार्गदर्शन में वनोपज राजकीय व्यापार अंर्तविभागीय समिति को होगा।

24. इन शर्तो से उत्पन्न समस्त विवाद छत्तीसगढ़ के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे।